झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
द्वादश (मानसून)सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार,दिनांक–13 श्रावण,1945(श0) / 04 अगस्त,2023 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
104–अ0सू0–20		श्री निरल पुरती	C.H.C एवं P.H.C में चिकित्सक बहाल करना।	स्वा0चि0शि0एवं परि0कल्याण	28/07/23
105–अ0सू0–01		श्री बिरंची नारायण	सर्वे सेटंलमेंट ऑफिस स्थापित करना।	राजस्व निबंधन भूमि सुधार	23/07/23
106–अ0सू0–24		डॉ0 सरफराज अहमद	पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परि0कल्याण	28/07/23
107–अ0सू0–05		श्री राज सिन्हा	चिकित्सक प्रतिनियुक्त करना।	स्वा0चि0शि0एवं परि0कल्याण	23/07/23
108–अ0सू0–08		श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	दवा उपलब्ध कराना	स्वा0चि0शि0एवं परि0कल्याण	25/07/23
109–अ0सू0–16		श्री सुदिव्य कुमार	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26/07/23
110–अ0सू0–28		डॉ0 सरफराज अहमद	भूमि बैंक में स्थानान्तरण	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28/07/23

01	02	03	04	05	06
111	अ०सू०-15	श्री लोबिन हेम्ब्रम	संप्रभुता की रक्षा करना ।	विधि विभाग	26/07/23
112	अ०सू०-27	श्री सरयू राय	दोषी पर कार्रवाई	स्वा०चि०शि०एवं परि०कल्याण	28/07/23
113	अ०सू०-21	श्री नारायण दास	प्रोत्साहन राशि देना	श्रम नि०प्र० एवं कौशल विकास	28/07/23
114	अ०सू०-22	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	जिलो में भूमि सर्वे कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28/07/23
115	अ०सू०-03	श्री अनन्त कुमार ओझा	भूमि को फ्री होल्ड कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23/07/23
116	अ०सू०-18	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	ऑनलाईन इंद्राज कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27/07/23
117	अ०सू०-10	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	भू-सर्वेक्षण कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25/07/23
118	अ०सू०-23	श्री भूषण बड़ा	जमीन वापसी कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28/07/23
* 119	अ०सू०-17	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	मुआवजा देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	27/07/23
120	अ०सू०-02	श्री बिरंची नारायण	अस्पताल स्थापित करना।	श्रम नि०प्र० एवं कौशल विकास	23/07/23
121	अ०सू०-19	श्री ढुलू महतो	ट्रामा सेन्टर बनाना।	स्वा०चि०शि०एवं परि०कल्याण	27/07/23
122	अ०सू०-25	श्री सरयू राय	भू-खण्ड पर मालिकाना हक देना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	28/07/23
123	अ०सू०-26	श्री भूषण बड़ा	एम०ओ०यू० जल्द कराना।	स्वा०चि०शि०एवं परि०कल्याण	28/07/23

कृ०पृ०उ०/-

** राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक-2512, दिनांक 31.07.23 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01	02	03	04	05	06
124-अ०सू०-07	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदो को भरना।		स्वा०चि०शि०एवं परि०कल्याण	25/07/23
125-अ०सू०-06	श्री मनीष जायसवाल	योजना का लाभ देना।		राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25/07/23
126-अ०सू०-14	श्री लोबिन हेम्ब्रम	NIC वैज्ञानिकों पर कार्रवाई।		राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26/07/23
127-अ०सू०-04	श्री कोचे मुण्डा	आरक्षण देना।		श्रम नि०प्र० एवं कौशल विकास	23/07/23
128-अ०सू०-12	श्री प्रदीप यादव	जमीन वापस करना।		राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26/07/23
129-अ०सू०-09	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	बेरोजगारी भत्ता देना।		श्रम नि०प्र० एवं कौशल विकास	25/07/23
130-अ०सू०-11	श्री प्रदीप यादव	मजदूरों को लाभ देना।		श्रम नि०प्र० कौशल विकास	26/07/23
#131-अ०सू०-13	श्री अमित कुमार मंडल	योजना लागु करना		विधि	26/07/23

* विधि विभाग के ज्ञापांक-**1747**, दिनांक-**28/07/2023** द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

विधि विभाग के ज्ञापांक-**1742**, दिनांक-**27/07/2023** द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-04 अगस्त,2023 (ई०)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ०पृ०उ०/-

ज्ञाप संख्या–झा०वि०स०(प्रश्न)–06/2020–....2031....वि०स०,राँची,दिनांक–....31/07/23....

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा०वि०स०(प्रश्न)–06/2020–....2031....वि०स०,राँची,दिनांक–....31/07/23....

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा०वि०स०(प्रश्न)–06/2020–....2031....वि०स०,राँची,दिनांक–....31/07/23....

प्रतिः–कार्यवाही शाखा बेवसाईट शाखा, J.V.S.T.V शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/–

31/07/2023

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक CHC एवं PHC में आयुष से संबंधित चिकितसक उपलब्ध है ;	राज्य अंतर्गत प्रखण्ड स्तर में कुल 267 आयुष औषद्यालय है, जिसके अंतर्गत कुल 249 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (CHO) पदस्थापित हैं। राज्य में 188 CHC अंतर्गत 23 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी एवं 330 PHC अंतर्गत 60 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल 485 आयुष चिकित्सक (आयुष कार्यक्रम अंतर्गत 23 एवं RBSK कार्यक्रम अंतर्गत 462) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में CHC एवं PHC में आयुष के चिकित्सक है वहाँ होमियोपैथी एवं आयुर्वेद दवा की उपलब्धता नहीं है;	राज्य में जहाँ आयुष चिकित्सा पदाधिकारी है, वहाँ होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध है। पूर्व में आयुष औषधि क्रय हेतु 2015–16 में 670.80 लाख रूपया JMHIDPCL को दिया गया और फिर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2896 लाख रूपया JMHIDPCL को दिया गया। अबतक 777 लाख रूपया का औषधि का क्रय कर आयुष केन्द्रों पर उपलब्ध कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी CHC एवं PHC में चिकित्सक के साथ–साथ दवा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य अन्तर्गत CHC एवं PHC में निरन्तर आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध कराने के लिए JMHIDPCL द्वारा क्रयादेश निर्गत किया गया है। होमियोपैथिक औषधि हेतु निविदा किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 20/आयुष–वि0स0–05/2023 250 (20) स्वा0 राँची, दिनांक–03.08.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2013 वि0स0, दिनांक 28.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.2023

(शिवजी बर्मा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो के प्रमुख्यतः चास और चंदनकियारी के जमीनों के डीड, इत्यादि महत्वपूर्ण कागजातों की प्राप्ति हेतु आज भी धनबाद के सर्वे सेटलमेंट ऑफिस पर निर्भर रहना पड़ता है, बोकारो में केवल सर्वे सेटलमेंट ऑफिस का एक छोटा ऑफिस स्थापित है, जहाँ 2–3 कर्मचारी कार्यरत है, एवं जब भी लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है, धनबाद सर्वे सेटलमेंट ऑफिस जाकर ही इनकी प्राप्ति करनी होती है, जो खर्चीला और अत्यधिक समय लेने वाला काम बन गया है जिससे रैयतों को बहुत परेशानी हो रही है ;	बंदोबस्त कार्यालय, धनबाद (मुख्यालय) अंतर्गत बोकारो जिला के चास एवं चन्दनकियारी अंचल का सर्वे सेटलमेंट कार्य सम्पादित किया जाता है। धनबाद बन्दोबस्त कार्यालय अंतर्गत भूमि के बंदोबस्त से संबंधित सभी रिकॉर्ड (चास एवं चन्दनकियारी सहित) बन्दोबस्त कार्यालय, धनबाद के अभिलेखागार में रखा गया है। इसलिए इसी कार्यालय से जमीन के हाल खतियान की अभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात निर्गत होते हैं। बन्दोबस्त कार्यालय, धनबाद का शिविर कार्यालय, बोकारो में अवस्थित हैं। शिविर कार्यालय में भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद सर्वे सेटलमेंट ऑफिस से बोकारो के प्रमुख्यतः चास और चंदनकियारी के जमीनों के डीड, इत्यादि महत्वपूर्ण कागजातों को बोकारो सर्वे सेटलमेंट ऑफिस में अब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सका है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, व्यापक जनहित में बोकारो के जमीनों के कागजात धनबाद सर्वे सेटलमेंट ऑफिस से बोकारो स्थानांतरित करवाते हुए बोकारो में ही कुल फ्लेज सर्वे सेटलमेंट ऑफिस स्थापित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–51 / 2023...325...., राँची, दिनांक–...03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1352 / वि0स0, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-08-23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

106

झारखण्ड विधानसभा में माननीय विधानसभा सदस्य डॉ0 सरफराज अहमद द्वारा दिनांक 04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची के न्यूरो सर्जरी विभाग में 12 माड्यूलर ओ0टी0 की खरीदारी स्थायी वित्त समिति के अनुशंसा के बगैर ही की गयी जबकि नियमानुसार एक करोड़ से अधिक राशि की खरीदारी के लिए स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा आवश्यक है ;	रिम्स, रांची के अंतर्गत न्यूरो सर्जरी विभाग के लिए ऑपेन टेण्डर के माध्यम से कय समिति द्वारा अनुमोदित दर से 02 मॉडूलर ओ0टी0 का कय किया गया है। रिम्स विनियमावली 2014 के अनुसूची I के कंडिका 3 में भंडार सामग्री एवं लेखन सामग्री का कय तथा प्रपत्रों का मुद्रण हेतु व्यय–निदेशक को स्वीकृत बजट के अंदर पूर्ण शक्ति है।
2. क्या यह बात सही है कि नियमों का उल्लंघन कर वर्णित खरीद के कारण सरकारी राजस्व को करीब 25 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है;	विषयांकित मामले की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–258 (11) दिनांक 03.09.2022 द्वारा गठित जाँच समिति एवं पुनः पत्रांक–154(11) दिनांक 15.06.2023 द्वारा पुनर्गठित जाँच समिति द्वारा जाँच की कार्रवाई की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित मामले की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–258(11) दिनांक 03.09.2022 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया था परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुइ है;	विभागीय पत्रांक–258 (11) दिनांक 03.09.2022 द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्य डॉ0 हिमांशु भूषण बरवार के आकस्मिक निधन के पश्चात् पत्रांक–154 (11) दिनांक 15.06.2023 द्वारा जाँच समिति का पुनर्गठन किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित मामले में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

विश्वासभाजन

3.8.23

(वीरेन्द्र कुमार राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–11/ रिम्स (वि0स0)–05–08/2023 188(रांची, दिनांकः– 03/8/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को भवदीय पत्रांक 2012 दिनांक 28.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

3.8.23

सरकार के अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-स0-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल एस0एन0एम0एम0सी0एच0 के फारेंसिक मेडिसिन एण्ड टेक्सीकोलॉजी (एफ0एम0टी0) विभाग में केवल एक चिकित्सक प्रतिनियुक्त है और महीनों में पोर्स्टमाटम के सौ से भी अधिक मामले आते है;	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के एफ0एम0टी0 विभाग में दो चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनमें एक बीमारी के कारण अवकाश पर हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सक के अभाव के कारण शवों के पोर्स्टमाटम में विलंब तथा लाशे विकृत हो जाती है जिसके कारण रिपोर्ट की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है;	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद के अंतर्गत पोस्टमार्टम कार्य अवधि के दौरान एक साथ अनेक शवों के आ जाने के कारण बारी-बारी से पोस्टमोर्टम कार्य सम्पन्न किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् भी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर पोस्टमार्टम कार्य संपादित किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विभाग में चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के एफ0एम0टी0 विभाग में चिकित्सकों की अत्याधिक कमी है। उपलब्ध चिकित्सकों से ही पोस्टमोर्टम का कार्य संपादित किया जा रहा है। एफ0एम0टी0 विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर Walk in interview के माध्यम से प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पदों पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु अनके बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0- /विधायी-06-08/2023 -396(9) राँची, दिनांक-1/8/23

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-1756 वि0स0, दिनांक 23.07.2023 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23
सरकार के अवर सचिव

108

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है और यहाँ राज्य एवं राज्य से बाहर के गंभीर बिमारियों से ग्रसित मरीज चिकित्सा हेतु आते है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स संस्थान में मरीजों को निःशुल्क दवाई देने का नियम है, लेकिन अधिकांश मुख्य दवाये आउट ऑफ स्टॉक रहती है, जिससे मरीजों को महँगी दवाई निजी दुकानों से क्रय करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोरोना के वैश्विक महामारी के बाद कतिपय दवाओं की दर में अभिवृद्धि के कारण एवं आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा दवा आपूर्ति करने में रूचि नहीं लेने के कारण अन्य निविदादाताओं से आवश्यक दवाईयाँ प्राप्त कर मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 07 करोड़ रूपए की दवाओं का क्रय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक 5.28 करोड़ रूपये की दवा का क्रय करते हुए मरीजों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-MMJAY) के अन्तर्गत Apps AB Connect विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी अस्पतालों में दवा एवं पैथोलॉजी जाँच की अनुपलब्धता होने की स्थिति में एप्प के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थानों से लाभुकों को दवा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि रिम्स में स्थित जन औषधि केन्द्र तथा अमृत केन्द्र में भी मुख्य दवाई अनुपलब्ध रहती है;	सम्प्रति औषधि केन्द्र में 614 दवाएँ एवं अमृत दवा केन्द्र में 2140 दवाएँ तथा सर्जिकल उपकरण/सामग्री उपलब्ध है। उक्त केन्द्रों में दवा की पर्याप्त स्टॉक रखे जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश रिम्स प्रबंधन द्वारा निर्गत किये गये हैं।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स के दवाई केन्द्र, जन औषधि केन्द्र तथा अमृत केन्द्र पर दवाई का प्र्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-07/2023 187 (11) दिनांक- 03/8/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-1873 वि0स0 दिनांक-25.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23

सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0 16 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स.वि.स.	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–03.07.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल रसीद निर्गत करने तथा वैसे सभी मामले जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था की गई है;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय पत्रांक–2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन गिरिडीह जिले में नहीं किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** गिरिडीह जिले में 44,397 की संख्या में गैरमजरूआ खास भूमि का लगान रसीद निर्गत किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसीद नहीं काटने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए गैरमजरूआ खास भूमि का रसीद काटने का निदेश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–05/स0भू0 गिरिडीह वि0स0 (अ0सू0)–130/2023 2625 /रा., राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1927/वि.स., दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.2023

सरकार के अवर सचिव।

(110)

डॉ सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–28 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न डॉ सरफराज अहमद, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह ने जून, 2015 में 19 मौजा में शामिल 86.65 एकड़ भूमि भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जिसमें अधियाची निकाय द्वारा दी गयी 19.15 करोड़ की निधि के विरूद्ध 19.1489 करोड़ व्यय की गयी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 19 मौजाओं में से 16 मौजाओं में शामिल भूमि की आवश्यकता नहीं होने के के कारण संबंधित अधिसूचना को रद्द करते हुए भू–अर्जन प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया गया था;	आधियाची विभाग (कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह) के पत्रांक–1389, दिनांक–28.08.2018 के द्वारा कोदम्बरी–मण्डरो– रानीडीह–हरला पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व के प्रस्ताव के अनुसार की गई अधिसूचना में मारूडीह, विजयसिंहा एवं आरागारों मौजा में कुल भुगतान किये गये प्लॉटों को यथावत् रखते हुए शेष 16 मौजों की अधिसूचना को रद्द करते हुए भू–अर्जन प्रस्ताव को वापस करने का अनुरोध किया गया है। इसके आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के विभिन्न पत्रों/स्मार पत्रों द्वारा भू–अर्जन की वापसी के संदर्भ में अधियाची विभाग से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई जो अप्राप्त है। अधियाची विभाग से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधान के आलोक में नियमानुकुल कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि अबतक याचित अधिसूचना को रद्द नहीं होने के कारण भूमि बैंक में अर्जित भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं की गयी है;	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित भूमि को भूमि बैंक में हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए०/भू०अ०नि, वि०स० (अ०सू०) –114/2023..622..../राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2017, दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 245 (SOHAN)

(111)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 संविधान के 9 वीं अनुसूची क्र0सं0–09 और 10 में सूचीबद्ध है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत का संविधान के 9वीं अनुसूची (Ninth Schedule) में संविधान (66वां संशोधन) अधिनियम, 1990 (w.e.f. 07-06-1990) द्वारा अंतः स्थापित क्रम संख्या–209 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) (अध्याय–8–धारा–46, धारा–47, धारा–48–क और धारा–49, अध्याय–10–धारा–71 धारा–71–क और धारा–71–ख, और अध्याय–18–धारा–240, धारा–241 और धारा–242), के रूप में सूचीबद्ध है। जबकि भारत का संविधान के 9वीं अनुसूची (Ninth Schedule) में संविधान (66वां संशोधन) अधिनियम, 1990 (w.e.f. 07-06-1990) द्वारा अंतःस्थापित क्रम संख्या–210 में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम–14) धारा–53 को छोड़कर, के रूप में सूचीबद्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि 9वीं अनुसूची भाग–3 मूल अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद –31 (ख) में प्रावधान है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण इस नियम के तहत् कोई भी न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता है और न ही किसी सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए उसे निरसित या संशोधित कर सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपरोक्त के संदर्भ में I.R. Coelho (Dead) By Lrs vs State of Tamil Nadu & Ors on 11 January, 2017 (Popularly known as The Ninth Sehedule Case में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ (Nine Judges' Bench) द्वारा संविधान के मूलभूत संरचना (Bssic Structure) को प्रभावित होने की स्थिति में नवीं अनुसूची में दिनांक–24 अप्रैल 1974 को या उसके पश्चात् संशोधन के रूप में अंतःस्थापित विषय का भी न्यायिक पुनर्विलोचन (Judicial Review) किया जा सकता है, प्रतिपदित किया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित विषय को दरकिनार कर काश्तकारी कानूनों को प्रभावहीन बना दिया गया है, जिससे जनजातीय के साथ मूलनिवासियों के अस्तिव्य खतने में है ;	छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में वर्त्तमान समय में कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही कोई संशोधन का प्रस्ताव गठित है। सी0एन0टी0 एक्ट एवं एस0पी0टी0 एक्ट के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी पर कार्यवाही की जाती है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–03 में वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए खंड–02 में वर्णित विषय पर कार्रवाई करने के साथ दोनों अधिनियमों की स्वयं प्रभुता बचाये रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01, 02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 (अल्प–सूचित)–255/2023–2656/रा0, दिनांक– 03-08-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1928/वि0स0, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधानसभा में माननीय विधानसभा सदस्य श्री सरयू राय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि नियमानुसार रिम्स, राँची के निदेशक का पद रिक्त होने पर रिम्स का अध्यक्ष रिम्स के वरीयतम प्राध्यापक को छः माह से अनधिक अवधि के लिए प्रभारी निदेशक नियुक्त करता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची निदेशक को त्यागपत्र देने के तीन माह पूर्व इसके लिए नोटिस देनी पड़ती है ;	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 2002 के कंडिका–09 (vi) के अनुसार इन नियमों मे विनिर्दिष्ट किसी बात को होते हुए संस्थान को उसकी दृष्टि में यदि ऐसा करना लोकहित में हो, संस्थान के निदेशक को उसके कार्यकाल के पूर्व कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना अथवा इसके बदले तीन महीने का वेतन एवं भत्ते देकर, हटाने का अधिकार होगा। निदेशक को भी संस्थान को कम से कम तीन महीने की सूचना देकर किसी भी समय नियम कार्यकाल से पूर्व पद छोड़ने का अधिकार होगा।
3. क्या यह बात सही है रिम्स निदेशक के त्यागपत्र देने के बाद रिम्स के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, कार्यकारी निदेशक रिम्स के वरीयतम प्राध्यापक नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलाएगी कि निदेशक का कार्यभार देखने के लिए वरीयतम प्राध्यापक को नियुक्त नहीं करने का कारण क्या है, निदेशक के त्यागपत्र नोटिस की अवधि में स्थायी निदेशक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं निकालने तथा नियमावली का उल्लंघन करने के लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का विचार रखती है,	डॉ0 कामेश्वर प्रसाद, तत्कालीन निदेशक रिम्स द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात् रिम्स में कार्यरत प्राध्यापको में से वरीयतम प्राध्यापक डॉ0 आर०जी० बाखला, प्राध्यापक सर्जरी विभाग की सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2023 थी। वरीयतम प्राध्यापक को कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक रिम्स का प्रभार तत्काल दिये जोने की स्थिति में उनकी कार्यावधि मात्र 25 दिनों की होती है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में उचित नहीं होता।

हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उक्त परिस्थिति में वरीयता के अनुसार उपर से 4 चार प्राध्यापकों से संस्थान के उत्थान हेतु उनकी सोच एवं Vision प्राप्त किया गया तद्नुसार डॉ राजीव कुमार गुप्ता, प्राध्यापक, सह–विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग, रिम्स, राँची को कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक रिम्स का प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया गया है तथा इससे विभागीय अधिसूचना सं0–144 दिनांक 06.06.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया है। निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

विश्वासभाजन

3.8.23

(वीरेन्द्र कुमार राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–11 / रिम्स (वि0स0)–05–09 / 2023 1866 राँची, दिनांकः– 03/8/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को भवदीय पत्रांक 2010 दिनांक 28.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23

सरकार के अवर सचिव।

113

1370
03/08/2023

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–21 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री नारायण दास, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि राज्यान्तर्गत नियोजनालयों में तीन लाख अस्सी हजार बेरोजगार युवा–युवतियाँ निबंधित है, जो आजतक रोजगार पाने की प्रत्याशा में है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** राज्यान्तर्गत नियोजनालयों में दिनांक–31.07.2023 तक कुल 7,27,300 युवा–युवतियॉ निबंधित है। नियोजनालयों में निबंधित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय–समय पर रोजगार मेला/भर्त्ती कैम्पों का आयोजन किया जाता है। **रोजगार मेला, भर्त्ती कैम्पों एवं कौशल विकास मिशन के माध्यम से तीन वित्तीय वर्षों में रोजगार हेतु चयनित युवाओं की विवरणीः–**

वित्तीय वर्ष	भर्त्ती कैम्प	रोजगार मेला	कौशल विकास मिशन	कुल
2020–21	2,504	0	0	2,504
2021–22	3,013	0	2,199	5,212
2022–23	6,985	4,369	36,027	47,381
2023–24 (अबतक)	259	958	11,816	13,033
कुल	**12,761**	**5,327**	**50,042**	**68,130**

2	क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने के बावजूद आजतक निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने से वंचित है;	झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के उपरांत स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारनियोजन पोर्टल (http://jharniyojan.jharkhand.gov.in) का निमार्ण किया गया है। जिस पर अबतक 5854 नियोजक निबंधित है एवं उनके द्वारा 5401 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई है। जिसके विरूद्ध 7230 आवेदकों ने रोजगार हेतु आवेदन किया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यान्तर्गत नियोजनालयों में निबंधित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार प्राप्त कराने तक स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षित बेरोजगार को प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमशः पॉच हजार व सात हजार रूपये दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) के अंतर्गत राज्य के नियोजनालयों में निबंधित बेरोजगार युवक– युवतियों को रोजगार प्राप्त कराने तक स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षित बेरोजगार को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने से संबंधित कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। वर्तमान में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरूआत 14 नवम्बर 2022 से की गयी है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणोपरांत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकरण के तीन माह के अंदर नियोजन न होने की स्थिति में एक वर्ष तक युवकों को प्रतिमाह राशि रूपये 1,000/– एवं युवतियों/दिव्यांगो/परलैगिक को प्रतिमाह रूपये 1,500/– रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

03/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-56-23 E & Skill.docx

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–56 / 2023श्र0नि0– 1370 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2018, दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-56-23 E & Skill.docx

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमि सर्वे का काम 1980 से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है;	संयुक्त बिहार से ही बन्दोंबस्त कार्यालय, राँची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं दुमका के अंतर्गत सर्वे/रि–सर्वे का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। वर्ष 1980 के पश्चात् कई ग्रामों का रि–सर्वे कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न कर अधिसूचित किया गया है। बंदोबस्त कार्यालय, राँची अंतर्गत जिला गुमला एवं लोहरदगा के कुल 809 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन कर अधिसूचना निर्गत किया गया है। (अधिसूचना का वर्ष, 2006–2016) बंदोबस्त कार्यालय, धनबाद अंतर्गत जिला धनबाद एवं बोकारो के कुल 1321 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन कर अधिसूचना निर्गत किया गया है। (अधिसूचना का वर्ष, 2007–2014) बंदोबस्त कार्यालय, पलामू अंतर्गत जिला पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कुल 1912 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन कर अधिसूचना निर्गत किया गया है। (अधिसूचना का वर्ष 2005–2017) बंदोबस्त कार्यालय, दुमका अंतर्गत जिला दुमका के कुल 687 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन कर अधिसूचना निर्गत किया गया है। (अधिसूचना का वर्ष, 2010–2016) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न ग्रामों में सर्वे/रि–सर्वे कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि सर्वे नहीं होने के कारण राज्य में भूमि विवादों की संख्या में वृद्धि हो रही है;	सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में राजस्व संबंधी कार्यो का निष्पादन पूर्व में सम्पन्न सर्वे के आधार पर किया जाना है।
3	क्या यह बात सही है कि सर्वे नहीं होने के कारण राज्य में सरकारी, गैर सरकारी एवं रैयती जमीन की पहचान करने में कठिनाई हो रही है, जिसका फायदा भूमि दलालों को मिल रहा है;	सरकारी, गैर सरकारी एवं रैयती भूमि की पहचान गत सर्वे के आधार पर की जाती है।

कृ0पृ0उ0

4	क्या यह बात सही है कि राज्य मे भू–माफियाओं का गैंग सक्रिय है और दिन–दहाड़े जमीन पर कब्जा कर रहे हैं;	विभिन्न राजस्व न्यायालय, व्यवहार न्यायालय एवं सत्र न्यायालय द्वारा अवैध कब्जे के मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिलों में सर्वे का काम कब तक पूरा करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–55 / 2023. 330/ रा0 राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2014 / वि0स0, दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03-08-23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0 03 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स.वि.स.	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार के विभागीय संकल्प संख्या–3586/रा0, राँची दिनांक–23.02.2019 द्वारा साहेबगंज खासमहाल भूमि को फ्री होल्ड करने से संबंधित संकल्प में निहित तथ्यों के अनुसार खासमहाल भूमि को फ्री होल्ड कराकर भूमि की रजिस्ट्री/निबंधन कराये जाने का आदेश निर्गत की गई थी;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि स्थानीय भूधारकों द्वारा खण्ड (1) में वर्णित संकल्प के आलोक में किए गए आवेदन के बाद भी उन आवेदनों का आज तक निस्तारण नहीं किया गया एवं वर्णित प्रकृति भूमि वाले जमीन पर स्वीकृत 605 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभुकों को भुगतान न मिल पाने से आज भी लंबित आवास निर्माण नहीं हो पाई है।	भू–धारकों से, खासमहाल पदाधिकारी, साहेबगंज को कुल 5 प्राप्त आवेदन में किसी का लीज अद्यतन नहीं है। वाद की सुनवाई की जा रही है। – विभागीय संकल्प संख्या–4064, दिनांक–25.10.2019 के आलोक में नगरीय प्रशासन, निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक–1472, दिनांक–16.06.2021 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत खासमहाल की भूमि पर रहनेवाले लाभुक यदि लीजधारी हैं और जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ दिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 1398 लाभुकों के स्वीकृत आवास में से 605 लाभुकों का आवास खासमहाल भूमि संबंधी लीज नहीं रहने के कारण/भूमि विवाद होने पर आवास का निर्माण नहीं किया गया है एवं नगरीय प्रशासन, निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1834, दिनांक–26.08.2022 के आलोक में नगर परिषद, साहेबगंज का पत्रांक–1743, दिनांक–06.11.2022 के द्वारा 605 लाभुकों का आवास प्रत्यर्पित कर दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) वर्णित संकल्प में निर्धारित तिथि का विस्तार करते हुए खासमहाल प्रकृति वाली भूमि को फ्री होल्ड कराने हेतु स्वीकृत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खासमहाल प्रकृति वाली भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु लीज नवीकरण होना आवश्यक है। लीज नवीकरण हेतु 0.50 एकड़ तक उपायुक्त सक्षम प्राधिकार हैं। लीज नवीकरण होने के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या–3586, दिनांक–23.02.2019 में वर्णित विहित प्रावधानों के अनुसार फ्री होल्ड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

कृ.पृ.उ.

(211)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–07 / खा0म0 (अ0सू0) –03 / 2023(एम) 2653 / रा., राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1753 / वि.स., दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के उप सचिव।

(116)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–18 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत लापुंग अचंल के लगभग 70% जमीन ऑनलाइन इंद्राज नहीं होने के कारण रैयतों को ऑनलाइन लगान रसीद प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। लापुंग अंचल के ऑनलाईन पंजी–II में कुल 11630 जमाबंदी की प्रविष्टि है, जिसके विरूद्ध कुल 4124 खाता की ऑनलाईन प्रविष्टि है। लापुंग अंचल में कुछेक खतियानों के ऑनलाईन में प्रविष्टि नहीं होने के कारण ऑनलाईन लगान रसीद बाधित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऑनलाइन इंद्राज से वंचित जमीन को अविलम्ब ऑनलाइन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–316/नि०रा०, दिनांक–27.07.2023 द्वारा लापुंग अंचल के पूर्ण खातों की ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं रहने का कारण एवं डिजिटाईजेशन हेतु लंबित खातों एवं जमाबंदी संबंधी प्रतिवेदन की मांग उपायुक्त, राँची से की गयी है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे०अभि०, वि०स० (अ०सू०)–40/2023...329/G-11 राँची, दिनांक–03-8-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1968/वि०स०, दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03-08-23

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के रिविजनल सर्वे का प्रकाशन CNT Act 1908 की धारा 84 (2) के तहत् वर्ष 2005 में किया गया, जिसके आधार पर भूमि संबंधी संपूर्ण कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि DILRMP के तहत् हाल सर्वे के अनुसार भू–अभिलेखों का Digitize करा कर जिले के सभी भूमि संबंधी कार्य हो रहा है, परन्तु रिविजनल सर्वे में अनेकों त्रुटियाँ विद्यमान रहने के कारण भू–विवाद एवं भू–समस्याएँ व्याप्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि यथा सरना, जाहेरथान, देशावली, देवस्थान, मसना, हड़गड़ी, डालीकतारी, भूतखेता पहनाई, महतोई, पईनभरा, कोटवारी जतरा स्थल, अखड़ा, धुमकुड़िया, बकास्त, मुण्डा आदि भूमि को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रैयतों खाता दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण उपरोक्त प्रकार की भूमि की खरीद–बिक्री की जा रही है;	सर्वे में त्रुटियों के कारण उत्पन्न भूमि विवाद के मामले बन्दोबस्त कार्यालय में प्राप्त हुये हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–438/नि०रा०, दिनांक–31.10.2019 के द्वारा रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सातों अंचलों के राजस्व ग्रामीणों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1902 की धारा 98 के तहत् निहित प्रावधान के आलोक में पूर्ण भू–सर्वेक्षण (Re-Survey) का कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	C.N.T Act, 1908 की धारा–98 के तहत् निर्गत अधिसूचना सं0–438/नि0रा0, दिनांक–31.10.2019 के आलोक में सर्वे/रि–सर्वे कार्य प्रारम्भ करने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू द्वारा सर्वे/रि–सर्वे में पड़ने वाले वित्तीय भार का प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–53/2023 328/नि राँची, दिनांक– 03-8-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1871/वि0स0, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03-08-23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

श्री भूषण बड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भूषण बड़ा, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जन जातियों की जमीन को अन्य जातियों के द्वारा खरीद बिक्री पर रोकथाम हेतु CNT, SPT एवं शिडियूल एरिया रेगुलेशन एक्ट प्रभावी रहने के बावजुद इनकी जमीनों की लूट खरीद बिक्री कर की जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46, 48 एवं 240 के तहत् अनुसूचित जनजाति रैयत, भूईहारी एवं खूटकटीदार खाते की भूमि का हस्तांतरण अन्य जातियों को करने पर प्रतिबंध है।
2	क्या यह बात सही है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य के अनुसूचित जनजाति महिलाओं से विवाह करके इनकी जमीनों की खरीद बिक्री का खेल बदस्तुर जारीया जमीन के अभाव में इनकी हालत और भी बद से बदतर हो गई है ;	अनुसूचित जनजाति की भूमि के अवैध हस्तांतरण की स्थिति में CNT के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में धारा–71 को पिछली सरकार के समय हथियार बनाकर यहाँ के अनुसूचित जन जातियों के 21 हजार परिवारों की 21 हजार एकड़ से अधिक भूमि की लुट की गई है, साथ ही इनकी जमीनों की खुलेआम लुट में सहयोग करने वाले पदाधिकारियाँ के विरूद्ध कार्रवाई की गई है ;	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की भूमि के किसी तरह के अवैध हस्तांतरण होने पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71'ए' यथा :– "Power to restore possession to member of the Scheduled Tribes over land unlawfully transferred.-If at any time, it comes to the notice of the Deputy Commissioner that transfer of land belonging to a raiyat [or a Mundari Khunt-Kattidar or a Bhuinhari] who is a member of the Scheduled Tribes has taken place in contravention of Section 46 [or Section 48 or Section 240] or any other provisions of this Act or by any fraudulent method. [including decrees obtained in suit by fraud and collusion] he may, after giving reasonable opportunity to the transfer, who is proposed to be evicted, to show cause and after making necessary inquiry in the matter, evict the transferee from such land without payment of compensation and restore it to the transferor or his heir, or, in case the transferor or his heir is not available or is not willing to agree to such restoration, re-settle it with another Raiyat belonging to Scheduled Tribes according to the village custom for the disposal of an abandoned holding" के तहत भूमि वापसी का

		प्रावधान है। अवैध भूमि हस्तांतरण की वापसी का कार्यवाही Scheduled Area Regulatory (SAR) द्वारा किया जाता है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 (4-A) के तहत् अनुसूचित जनजाति की भू–वापसी की कार्यवाही समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है। राज्य में धारा–71 को हथियार बनाकर भूमि की लुट से संबंधित मामला प्रकाश में नहीं आया है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के निहायत गरीब मेहनत कस अनुसूचित जन जातियों की जमीनों की खुली लुट पर पुर्ण विराम लगाने, तथा अब तक लुटी गई जमीनों को इनहें वापस दिलानें एवं जमीनों की लुट में संलिप्त पदाधिकारियों को चिन्हितकर अन पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 (अल्प0–सूचित)–257/2023 2645 /रा0, दिनांक– 03-08-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2015/वि0स0, दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(120)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को विधान सभा/सदन में दी गयी अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू–02 की सूचना के संबंधित उत्तर सामग्री।

1356
02/08/2023

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है जहाँ बीएसएल सहित बियाडा में 450 से अधिक छोटे–बडे इंडस्ट्री स्थापित है, एवं इसके अलावे टीटीपीएस, सीटीपीएस, बीटीपीएस, सीसीएल, बीसीसीएल, इलेक्ट्रोस्टील, डालमिया सीमेंट, बीपीसीएल, एचपी सहित कई उद्यम भी कार्यरत हे, जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर कार्यरत है;	बोकारो जिला में स्थित सीसीएल तथा बीसीसीएल को छोड़कर अन्य सभी उद्यम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत व्याप्त है। सीसीएल तथा बीसीसीएल जो खनन अधिनियम के अंतर्गत आते है जिसपर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू नहीं होता है। दिनांक–31.03.2022 के आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत नियोक्ताओं के अंतर्गत कुल व्याप्त बीमित व्यक्ति की संख्या 45,029 है।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो में अब तक इएसआई का अस्पताल स्थापित नहीं है, जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है;	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, व्यापक जनहित में मजदूरों के कल्याणार्थ चास बोकारो मुख्यालय में 500 बेड का इएसआई का अस्पताल स्थापित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कर्मचारी राज्य बीमा निगत के बोकारो में प्रस्तावित 100 शय्या वाले अस्पताल के लिए राज्य सरकार के पास बोकारो स्टील प्लांट प्रक्षेत्र में उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण विभाग के पहल से बोकारो स्टील प्रबंधन से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में बोकारो स्टील प्रबंधन ने बाजार मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की है। जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (मुख्यालय), नई दिल्ली के विचारार्थ भेजा गया है।

02/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–46/2022श्र0नि0– 1356 राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्रांक–1754, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

G:\vidhan sabha -2023-24\05-46-2023 ESI.docx

(121)

झारखण्ड विधानसभा में श्री ढुल्लू महतो , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं–अ0सू0 19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना से उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल तक में एक भी ट्रॉमा सेन्टर नहीं होने से संथाल सहित गिरिडीह के लोगों को धनबाद आना पड़ता है। जिसके कारण एस0एन0एम0सी0एच0 धनबाद में मरीजों के ईलाज का दबाव हर वक्त बना रहता है और लोगों को मजबुरन निजी हॉस्पीटल में आर्थिक दोहन का शिकार होना पड़ता है	आंशिक स्वीकारात्मक। अभियान निदेशक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1978(MD) दिनांक 08.07.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राजकीय राजमार्गो के Mapping करते हुए कुल 49 स्थानो पर ट्रॉमा सेन्टर संचालित करने की अनुशंसा की गयी है । इनमें संथाल परगना एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में चिन्हित ट्रॉमा सेन्टर निम्नवत् है। 1. PHC दीघी, गोड्डा 2. PHC धरमपुर, पाकुड़ 3. अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल, साहेबगंज 4. PHCकोटाल पोखर, साहेबगंज 5. PHC पबिया, जामताड़ा 6. PHC बुढ़ई, देवघर 7. सदर अस्पताल, देवघर 8 PHC गंगवारा(हंसडीहा), दुमका 9. CHC, जरमुण्डी, दुमका, 10. फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका 11. CHC शिकारीपाड़ा, दुमका 12. सदर अस्पताल, पाकुड़ 13. ट्रॉमा सेन्टर रामगढ़ 14. सदर अस्पताल, बोकारो 15. शहीदनिर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद 16.CHC निरसा, धनबाद 17.सदर अस्पताल, गिरिडीह 18. CHC बगोदर,गिरिडीह 19. सदर अस्पताल, कोडरमा 20. ट्रॉमा सेन्टर, हजारीबाग 21. ट्रॉमा सेन्टर, बरही,हजारीबाग 22. सदर अस्पताल, चतरा 23. CHC, सिमरिया, चतरा। प्रथम चरण में उपलब्ध मानवबल एवं संसाधनों से कार्यशील 9 ट्रॉमा सेन्टरों की सूची में उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल अंर्तगत 1. ट्रॉमा सेन्टर रामगढ़ 2. ट्रॉमा सेन्टर, शेखभिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग 3.ट्रॉमा सेन्टर, बरही, हजारीबाग एवं 4. ट्रॉमा सेन्टर, बगोदर, गिरिडीह शामिल हैं। सिविल सर्जन, धनबाद द्वारा एस0एन0एम0सी0एच0 धनबाद में 10 बेड का ट्रॉमा सेन्टर संचालित होने की सूचना दी गई है। उपायुक्त,धनबाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा, गोविन्दपुर एवं तोपचांची जो राष्टीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित हैं में ट्रॉमा सेन्टर संचालन हेतु अनुशंसा की गई है। संथाल परगना प्रमण्डल अंर्तगत चिन्हित ट्रॉमा सेन्टरों को शीघ्र कार्यशील किया जाएगा।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा सी0एच0सी0 को ट्रॉमा सेन्टर में परिवर्तित करना चाहती है, हां, तो कबतक , नही तो क्यों ?	अभियान निदेशक, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राजकीय राजमार्गो में ट्रॉमा सेन्टर संचालित करने की अनुशंसा हेतु 49 स्थानो की सूची में सी0एच0सी0 बाघमारा शामिल नहीं है। अतएव, सम्प्रति यहां ट्रॉमा सेन्टर संचालित करने पर विचार नहीं किया जा रहा हैं।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (अल्पसूचित)–08/2023 101(08) राँची, दिनांक– 03-08-2023

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1969 वि0 स0 दिनांक–27.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–25 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स.	माननीया प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि टाटा लीज समझौता, 2005 में जमशेदपुर की बस्तियों को लीज से बाहर कर दिया गया था और उनका सर्वेक्षण कराया गया था ताकि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर उन्हें अपने आवासों पर मालिकाना अधिकार दिया जा सके;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–20.08.2005 को झारखण्ड सरकार एवं मे0 टाटा स्टील लि0 के बीच निष्पादित Indenture of lease की कंडिका–7 में उल्लेखित है– *"The lands forming part of Schedule V of the Lease Deed dated 1.8.1985, on which Busties are existing have been excluded from this Indenture area and boundary of which shall be decided by the State Authorities by separate decision which shall be made annexure to the land mentioned in Appendix-'E' but Lessee shall provide civic amenities to residents of such land on the charges recoverable by Lessee from such residents. Further, if any Raiyati land of any Raiyat has/have been inadvertently included in any scheduled land as a part of the lease, shall be excluded from the concerned Schedule-Appendix in consultation with the Lessee after following due process of law."* विभागीय अधिसूचना सं0–150/सर्वे, राँची, दिनांक–15.06.2006 के द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कुल–16 वार्डों के सर्वेक्षण एवं खतियान तैयार करने की अधिसूचना निर्गत की गई थी। उक्त अधिसूचना में उल्लेखित है – *"बिहार नगर पालिका सर्वेक्षण अधिनियम, 1920 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम,1, 1920) यथा संशोधित झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2002 की धारा–3 तथा बिहार नगर पालिका सर्वेक्षण संशोधन अधनियम, 1967 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (बंगाल अधिनियम का, 1908) की धारा–80 एवं 81 के साथ वांछित धारा–127 की उपधारा (1) तथा बिहार शहरी भूमि कर अधिनियम, 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल आदेश देते हैं कि रेलवे तथा सरकारी भूमि सहित उन सारी भूमि का सर्वेक्षण किया जाय तथा खतियान तैयार किया जाय। उसके साथ अनुबंध अनुसूचित "अ" में उल्लिखित पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिला के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित हैं।"*

कृ0पृ0उ0

		टाटा लीज नवीकरण समझौता, 2005 एवं अधिसूचना सं0–150/सर्वे, दिनांक–15.06.2006 में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में कहीं उल्लेख नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन बस्तियों के निवासियों को प्रतिकुल कब्जा के सिद्धांत के अनुसार मालिकाना हक देने के बदले सरकार ने केवल 10 डी0 भूभाग पर इन्हें लीज देने का निर्णय किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं.–817/रा. दि0–22.02.2018 के द्वारा गैर ग्रामीण क्षेत्रों में 01.01.1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ 10 डी0 तक सरकारी भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। उक्त लीज बंदोबस्ती की शक्ति वर्तमान में विभागीय संकल्प सं0–4064/रा., दिनांक–25.10.2019 के द्वारा संबंधित उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है। बस्तियों के निवासियों को प्रतिकुल कब्जा के सिद्धांत के अनुसार मालिकाना हक देने के संबंध में टाटा लीज नवीकरण समझौता, 2005, अधिसूचना सं0–150/सर्वे, दिनांक–15.06.2006, विभागीय संकल्प सं.–817/रा. दि0–22.02.2018 एवं विभागीय संकल्प सं0–4064/रा., दिनांक–25.10.2019 में कोई उल्लेख नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि 10 डी0 भू–भाग पर लीज देने का निर्णय बस्तियों के मालिकाना हक के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है;	बस्तियों के निवासियों को प्रतिकुल कब्जा के सिद्धांत के अनुसार मालिकाना हक देने के संबंध में टाटा लीज नवीकरण समझौता, 2005, अधिसूचना सं0– 150/सर्वे, दिनांक–15.06.2006, विभागीय संकल्प सं.– 817/रा. दिनांक–22.02.2018 एवं विभागीय संकल्प सं0–4064/रा., दिनांक–25.10.2019 में कोई उल्लेख नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन बस्तियों का 2005–06 में हुए सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रकाशित करने बस्तिवासियों को आवासीय भूखण्ड पर मालिकाना हक देने तथा 10 डी0 भूभाग पर लीज देने का निर्णय निरस्त करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 एवं 3 में उत्तरित है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि.स.(अ.सू.)–66/2023.....2654.....(4)/रा., राँची, दिनांक–.....03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2016/वि.स., दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

123

श्री भूषण बड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-26 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तरप्रतिवेदन
1.क्या यह बात सही है कि राज्य में गंभीर बीमारी से पिड़ित गरीब-गुरबो को गंभीर बीमारी से निजात दिलाने हेतु व्यापक लोकहित में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी से पिड़ित राज्यवासियों का ईलाज कराने हेतु संबंधित अस्पतालों से सरकार का एम0ओ0यू0 समाप्त हो चूका है जिस कारण गंभीर बीमारी से पिड़ित राज्यवासियों का ईलाज ससमय नही हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी राज्यवासी का ईलाज एम0ओ0यू0 समाप्त होने के कारण नहीं रूका है। विभागीय आदेश सं0-188 (13) दिनांक 02.08.2023 द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् कालबाधित M.O.U से संबंधित संस्थानों के M.O.U की अवधि कालबाधित होने की तिथि से दिनांक 31.10.2023 तक विस्तारित की गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से पिड़ित राज्यवासियों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत ससमय ईलाज करवाने हेतु पूर्व के संबंधित अस्पतालों को प्राथमिकता देते हुए एम0ओ0यु0 कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्थिति उपरोक्त कंडिका-2 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-05/2023 189 (13) राँची/दिनांकः- 03/8/2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2011 वि0स0 दिनांक-28.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 का पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग सहित कई अन्य सभी विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा में डिप्लोमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढाई हो रही है जहॉ से प्रति वर्ष सैकड़ो छात्र उक्त शिक्षा में उतीर्ण होकर रोजगार की आस में बैठे है;	**बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग :–** विनोवा भवे विश्वविद्यालय मुख्यालय में स्नातक प्रतिष्ठा उतीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सत्र 2019–20 से एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम योग शिक्षा विषय में प्रारम्भ की गई है जो वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसमें सीटो की अनुमान्यता 50 है, तथा सत्र 203–25 से PG in Yoga दो वर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ की गई है जिसमें सीटों की अनुमान्यता 60 है। **कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा:–** कोल्हान विश्वविद्यालय के अनतर्गत योग शिक्षा में मात्र स्नातकोत्तर स्तर हेतु नामांकन विगत एक वर्ष से विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ है। जिसमें अब तक मात्र 2 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। **नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू:–** नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, योग शिक्षा में डिप्लोमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढाई नहीं होती है। **बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद:–** बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में डिप्लोमा स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर योग की पढाई नहीं होती है। **डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची:–** डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची में स्नातक स्तर पर योग का अध्यापन होता है। प्रति वर्ष 8–10 छात्र ही उतीर्ण होते है। **सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका:–** सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में योग शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढाईनहीं होती है। **रॉची विश्वविद्यालय, रॉची:–** उत्तर स्वीकारात्मक है। **जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर:–** जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर में 2022–24 बैच के लिए कुल 60 नामांकन सीट है और 17 छात्राओं का नामांकन हुआ है, जिनकी पढाईहो रही है। वर्ष 2016 से योगा थेरेपी में पी0जी0 डिप्लोमा का कोर्स संचालित था जो अब योगा में एम0ए0 के रूप में वर्ष 2020 से जारी है।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी हाल ही में राज्य के 15 जिलो में 217 योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति हेतु नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा हेल्थ व वेलनेस सेंटर में आर्ट ऑफ लिविंग से जुडी संख्या व्यक्ति विकास केन्द्र से रिकोगनिशन ऑफ प्राइर लर्निंग अन्तर्गत 217 युवाओं को एक सप्ताह का प्रशिक्षण देकर राज्य के नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिलो के सिविल सर्जनों को उक्त	राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका अनुसार प्रति एच.डब्लू.सी. (HWC) कम से कम 10 योग सत्र का संचालन प्रति माह किया जाने का निदेश है। इस हेतु किसी भी सर्टिफाईड योग प्रशिक्षक को प्रति सत्र 250/– रू0 के दर से सत्र कराया जाना है। उक्त के संचालन का दायित्व जिला स्वास्थ्य समिति का है।

80(21)
/08/2023

	युवाओं की नियुक्ति के संबंध में पत्र निर्गत की गई है जबकि राज्य में वर्षो से खण्ड–01 में वर्णित विश्वविद्यालयों से उक्त शिक्षा में उतीर्ण छात्रों को उक्त पद पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया गया जिसके कारण राज्य में उक्त शिक्षा से उतीर्ण सैकडो छात्र बेरोजगार है,	राज्य नोडल पदाधिकारी– HWC कोषांग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा राज्य के सभी जिलो हेतु "आर्ट ऑफ लिविंग" से इस दिशा में सहयोग हेतु सर्टिफाईड योग प्रशिक्षको की सूची की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा 15 जिलो में 217 योग प्रशिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई गई। "आर्ट ऑफ लिविंग" द्वारा उपलब्ध कराई गयी योग प्रशिक्षको की सूची, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एण्ड एन्टरप्रेनियोरशिप (MSDE) की योजना के तहत सर्टिफाईड थे, को जिलो को, इस आलोक से उपलब्ध कराई गयी है कि उनका उपयोग वैसे एच0डब्लू0सी0 जहॉ योग सत्र के संचालन में कठिनाई हो रही हो, वहॉ उनके द्वारा यह सत्र कराई जा सकती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित छात्रो को राज्य में योग इंस्ट्रक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यो?	यह कोई चिन्हित पद नही है, जिस हेतु नियुक्ति की जा सके।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 20/आयुष–वि0स0–04./2023 180(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 04/08/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 1872/वि0स0 रॉची, दिनांक 25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0 : 20/आयुष–वि0स0–04./2023 180(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 04/08/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित राज्य के सभी जिलों में किसानों को उक्त योजना हेतु भूमि का केवाइसी होने के बावजूद संबंधित किसानों के भूमि का सत्यापन ससमय संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अन्तर्गत वर्तमान में 223127 किसान Active है, जिसमें 58% किसान 128315 का e-KYC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष किसानों के e-KYC एवं Land Seeding करने हेतु सभी अंचलों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान की अभिरूचि कम होने के कारण Land Seeding की गति धीमी है। Land Seeding का कार्य सभी अंचलों में किया जा रहा है। अबतक 108335 कृषकों के Land Seeding का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में कुल 110200 किसानों का आवेदन सहित पुरे राज्य में लगभग 27 लाख आवेदन पंजीकृत हुई है, जिसका सत्यापन कार्य लंबित होने के कारण उक्त किसानों से संबंधित योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिलान्तर्गत कुल 223127 कृषक वर्तमान में Active है। प्रज्ञा केन्द्र तथा कृषक स्वयं आवेदन का पंजीकरण करते है। पंजीकृत आवेदनों का जाँच/सत्यापन करते हुए स्वीकृति दी जा रही है। वर्तमान में 84713 कृषकों का आवेदन स्वीकृति हेतु अंचल स्तर पर लंबित है, जिसपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित लंबित आवेदनों का सत्यापन करते हुए उक्त योजना का लाभ ससमय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 हजारीबाग (अ0सू0)–242/2023.2626/रा0, दिनांक–03.8.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1870/वि0स0, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–14 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के Jharbhoomi. nic. in Website का निर्माण तथा संचालन NIC द्वारा किया गया है व किया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि Jharbhoomi Website का निर्माण NIC द्वारा किया गया है। पूर्व में Website का संचालन NIC एवं विभाग द्वारा NIC में प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मियों द्वारा किया जाता था। Jharbhoomi Project का Server Access Control दिनांक–05.12.2022 को NIC द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने के पश्चात् दिनांक–16.12.2022 से इसका संचालन विभाग द्वारा गठित तकनीकी कर्मियों की टीम (Jharbhoomi PMU) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें NIC तकनीकी सहयोग एवं पर्यवेक्षण प्रदान करता है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित Website में NIC के वैज्ञानिक द्वारा संजय गर्ग एवं लोकेश द्वारा छेड़छाड़ करने तथा Software का Security Audit नहीं करने से राज्य के Land Records में भारी घपला किया गया है जो राज्य द्रोह की श्रेणी में आता है;	Jharbhoomi Website के Security Audit C-DAC, Kolkata से कराया गया है। Security Audit के पश्चात् Jharbhoomi Website को Jharkhand State Data Center (JHSDC) में Shifting का कार्य पूर्ण करते हुए Live किया गया है। Shifting के पश्चात् Jharbhoomi Website का Security Audit JHSDC में Empanelled Agency द्वारा निश्चित समय अंतराल में किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Security Audit नहीं होने से Software की दुरूपयोग कर Service Providet Nic ने अनुचित प्रयोग से संबंधित सवालों का जवाब विभागीय सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को दिनांक–06.02.2020 की बैठक में नहीं दिया जो बेहद चिन्तित एवं राज्य के लिये खतरनाक है;	अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2020 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के अलोक में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट Jharbhoomi.nic.in के दुरूपयोग की Cyber Expert दल से जाँच कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक–520/नि०रा०, दिनांक–07.02.2020, पत्रांक–1706/रा०, दिनांक–15.07.2020, पत्रांक–2199, दिनांक–31.08.2020 द्वारा किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के

		पत्रांक–376 / गो०, दिनांक–18.09.2020 द्वारा Jharbhoomi.nic.in के दुरूपयोग के प्रकरण की विषयवस्तु / घटनाक्रम का औपबंधिक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–361 / नि०रा०, दिनांक–25.11.2020 द्वारा जाँच प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से विभाग को अवगत कराने का अनुरोध अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग से किया गया है। पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस मामले में उच्चस्तरीय जाँच करने सह–विभागीय पदाधिकारियों एवं NIC के वैज्ञानिकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / निदे०अभि०, वि०स० (अ०सू०)–38 / 2023...324.... राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1926 / वि०स०, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03-08-23
सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

127

श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –04 का उत्तर सामग्री।

1368
03/08/2023

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि जिला नियोजनालय, खूँटी को विगत तीन वर्षो में कितने अल्पसंख्यक आवेदकों को निबंधन कराया है;	जिला नियोजनालय, खूँटी में विगत तीन वर्षो में निबंधित अल्पसंख्यक आवेदकों की विवरणीः–

क्र०	वर्ष	ईसाई	मुस्लिम	सिख	बौद्ध	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	948	77	00	00	1025
2	2021	88	03	00	00	91
3	2022	91	10	00	00	101
4	जून, 2023 तक	95	10	00	00	105
	कुल	1222	100	0	0	1322

2	क्या यह बात सही है, कि नियोजनालय के अनुसार अल्प संख्यक ईसाई जाति को अनु0जन जाति नहीं माना गया है;	जिला नियोजनालय, खूँटी में वर्ष 2020 से जून, 2023 तक कुल 1222 ईसाई धर्म के आवेदकों का निबंधन किया गया है, जिसमें से 1189 अनुसूचित जनजाति के आवेदक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, ईसाई को अनु0जनजाति से हटाकर धार्मिक अल्पसंख्यक मानने एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर ही नौकरी आदि में आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

03/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–47 / 2023श्र0नि0– 1368 **राँची, दिनांक–** 03/08/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1755, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-47-2023 E.docx

श्री प्रदीप यादव, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, मा0 स.वि.स.	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने कोयला एवं अन्य खनिज के निकासी हेतु केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों को जमीन इन शर्त्तों के साथ दी है कि खदान का काम पूरा होने पर जमीन को पूर्व के भांति समतल कर वापस किया जायेगा ;	केन्द्र सरकार के कोल कम्पनियों द्वारा कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) अधिनियम–1957 के तहत राज्य में कोयला खनन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है । इस अधिनियम के अंतर्गत खदान का काम पूरा होने पर रैयती भूमि एवं गैरमजरूआ भूमि को पूर्व की भांति समतल कर जमीन मालिकों अथवा राज्य सरकार को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है ।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गिरिडीह, लातेहार, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, गोड्डा एवं अन्य जिलों में कोयला निकासी के बाद जमीन का समतलीकरण कर वापस नहीं किया गया है;	**स्वीकारात्मक।** कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खदान के गड्ढ़ों के कारण आम जनों को प्रदूषण एवं कई बीमारियों का सामना होना पड़ रहा है ;	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खदान कार्य समाप्त होने के बाद समतल कर पूर्व के जमीन मालिकों को वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–05/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)–131/2023 2622 /रा., राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1925/वि.स., दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.2023

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –09 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्रीमती दीपिका पाण्डेय,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि शिक्षित बेरोजगार युवको को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने से संबंधित सरकार ने सहमति प्रदान की है;	**अस्वीकारात्मक।** विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवको को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने से संबंधित कोई योजना की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। विभागीय संकल्प सं0–273(नि0) दिनांक–19.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें 5,000/– रूपये प्रतिवर्ष एक वर्ष के लिए दिये जाने का प्रावधान था। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता इकाई में रूपये 8,766.80 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे प्रत्यार्पित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना/मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना /मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल रूपये 8322.59 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था, जिसे भी प्रत्यर्पित करते हुए एक नयी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो दिनांक–01.04.2023 से प्रारंभ हो चुकी है।
2	क्या यह बात सही है, कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में धीरे–धीरे आक्रोश पनप रहा है;	बेरोजगारों के बीच आक्रोश पनपने की कोई जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

02/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–50 / 2023श्र0नि0– 1355 राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1874, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-50-2023 S & E.docx

1371
03/08/2023

130

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 11 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजनायें चलाई हैं;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है, कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 से केवल ऑन लाईन निबंधित मजदूरों को ही योजनाओं को लाभ देने के फैसले एवं जिलस्तर पर विभागीय पदाधिकारियों के मनमानी रवैये से ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मजदूर योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में निबंधित असंगठित कर्मकारों को विभिन्न योजनाओं के तहत 14,442 श्रमिकों को रुपए 24,12,49,729/– (चौबीस करोड़ बारह लाख उनचास हजार सात सौ उनतीस)का लाभ दिया गया है। राज्य में संचालित विभिन्न योजनाएँ यथा मनरेगा, वृद्धावस्था पेशन, विधवा पेंशन एवं बच्चों के छात्रवृति आदि योजनाओं में पिछले कई वर्षों से ऑनलाईन माध्यम से लाभ दी जा रही है। ऑनलाईन माध्यम से लाभ देने से दोहरीकरण (duplicacy) की समस्या का निराकरण हो जाता है एवं पारदर्शिता बनी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी योजनाओं में लाभ ऑनलाईन देने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन समस्त निबंधित मजदूरों को लाभ देने एवं विभागीय पदाधिकारियों के मनमानी पर रोक लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकामें स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

03/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–51/2023श्र0नि0–1371 **राँची, दिनांक–** 03/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का पत्र सं0–1924/वि0स0, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-51-2023 L.docx

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 13 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनाथ बच्चों के संरक्षण, संवर्धन इत्यादि से संबंधित कोई कानून नहीं बन पाया है;	अस्वीकारात्मक। असहाय, बेसहारा के साथ–साथ अनाथ बच्चों के कल्याणार्थ विभागान्तर्गत विभिन्न कानून, नियम एवं योजनाऐं राज्य में क्रियान्वित/संचालित है, यथा :– 1. किशोर न्याय (देख– रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 2. झारखण्ड राज्य किशोर न्याय (देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 3. समेकित बाल संरक्षण योजना (अब मिशन वात्सल्य) 4. झारखण्ड राज्य किशोर न्याय निधि।
2.	क्या यह बात सही है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प संख्या–912, दिनांक–22.03.2018 का अनुपालन राज्य में नहीं हो पाया है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त संकल्प 18 वर्ष तक के बच्चें (बालक/बालिका) के पालन–पोषण, देख–रेख एवं प्रायोजन (Sponsorship) हेतु विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की स्वीकृति से संबंधित है। मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत अनाथ बच्चों सहित देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी योग्य बच्चों को प्रत्येक माह रु0 4000/– की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सम्प्रति Sponsorship कार्यक्रम के तहत राज्य के 3666 बच्चें (प्रतिवेदन संलग्न) आच्छादित हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–2 का अनुपालन कराते हुए एवं खण्ड–1 के आलोक में अनाथ बच्चों के संरक्षण संवर्धन हेतु सर्वजन पेंशन योजना में अनाथ पेंशन योजना को लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त अन्तर्गत स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अनाथ बच्चों सहित अन्य आवश्यकता आधारित बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–219/2023 – 2201 राँची, दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1929/वि0स0 दिनांक–26.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।